न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 14 / 2019
तारीख दायरः 10.01.2019

उनवान

1. घीसा पिता ऊंकार जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. देबी पिता प्यारा जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. श्यामा पिता प्यारा जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. घीसी पुत्री ऊंकार जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. छाऊ पुत्री ऊंकार जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पिता नन्दा जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. लाला पिता नन्दा जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. महेन्द्र पिता नन्दा जाति बैरवा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. नाथू पिता धन्ना जाति दरोगा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. राजू पिता धन्ना जाति दरोगा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
6. काली पत्नि धन्ना जाति दरोगा निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
7. काली पत्नि छोटू जाति बैरवा निवासी दोलपुरा तहसील माण्डलगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार मारू (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काशतकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 09.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दोलपुरा पटवार हल्का दोलपुरा तहसील माण्डलगढ़ में प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 404 में पहुंचने के लिये बिलानाम आराजी नम्बर 483 / 397 के उत्तर से दक्षिण की तरफ होता हुआ विपक्षी रमेश लाला, महेन्द्र पिता नन्दा व हगामी बैवा नन्दा की आराजी नम्बर 484 / 398 रकबा 7 बीघा, उक्त खातेदारान मे से हगामी का देहान्त हो गया है। जिसके वारिस उक्त खातेदार है। नाथू, राजू पिता धन्ना काली बैवा धन्ना दरोगा की आराजी नम्बर 399, 401 किता 2 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा विपक्षी काली बैवा छोटू की आराजी नम्बर 396 रकबा 4 बीघा भूमि विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है। यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की ग्राम मोजा दोलपुरा की आराजी नम्बर 483 / 397 के उत्तर से दक्षिण की तरफ होता हुआ आराजी नम्बर 404 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा आराजी नम्बर 458 / 409 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किता 2 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा की भूमि पर सजबेल ट्रेक्टर आदी लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम महुआ से हाड़ी जी का खेड़ा जाने वाली सड़क के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने का रास्ता आराजी नम्बर 483 / 397, 398, 484 / 398, 399, 400 व आराजी नम्बर 400 बिलानाम के पूर्वी तरफ घुमता हुआ आराजी नम्बर 401 के उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता हुआ प्रार्थीगण की आराजियात में जाता है। इसके अलावा प्रार्थीगण [illegible] अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण निरन्तर 50- [illegible] सजबेल ट्रेक्टर आदी लाते ले जाते चले आ रहे है। उक्त रास्ता 20 [illegible] उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने खेत [illegible] आवश्यक हो गया है। क्योकि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता [illegible] है। यदि उक्त रास्ता विप[illegible] को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराया जाना प्रार्थी[illegible] सकेगा जिससे प्रार्थीगण के प[illegible] नही दिया तो प्रार्थीगण उक्त भूमि में काश्त नही कर [illegible] भूखे मरने की नौबत पैदा हो जायेगी। प्रार्थीगण रास्ते में आयी हुयी भूमि का डी.एल[illegible] जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी व विपक्षीगण खाते की नकले व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:19:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जावें प्रार्थी डी.एल.सी. रेट जमा कराने को तैयार है।

दिनांक 19.12.2019 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 की पूर्व में तामिल हो चुकी है। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 16.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह है कि प्रार्थी की आराजी संख्या 404 पर पहुंचने कि लिये विपक्षी की आराजी संख्या 483/397, 484/398, 399, 400 व 398 के अतिरिक्त मौके पर व राजस्व रेकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही हैं। हॉ, प्रार्थी की आराजी पर पहुॅचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के आराजी संख्या खाते की भूमि में चाहे गये रास्ते का रकबा 2.10 बीघा उपयोग में ली जावेगी। यह है कि प्रार्थी द्वारा मांगे रास्ते हेतु 2.10 बीघा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 63974 रूपये प्रति बीघा से 159935 रूपये बनती है। दुगुनी दर 319870 है। जिसमें से सरकारी भूमि 16 बिस्वा की दर 102358 रूपये बनती है। शेष 217512 रूपये काश्तकारो की भूमि से बनती है।

दिनांक 07.09.2020 को पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हमने तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व दस्तावेजों पर मनन व अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि ग्राम दोलपुरा पटवार हल्का दोलपुरा में प्रार्थी की आराजी संख्या 404 पर पहुॅचने के लिये विपक्षीगण कि आराजी संख्या 483/397, 484/398, 399, 400 व 398 में से 2.10 बीघा भुमि 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहमति प्रदान की गयी है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में डी.एल.सी. दर अधिक है। इसलिए पुनः वर्तमान डी.एल.सी. दर मंगवाई जाकर अग्रिम र्कायवाही अपेक्षित है। दिनांक 09.09.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. दर मंगवाई गई। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम दोलपुरा पटवार हल्का दोलपुरा में प्रार्थी की आराजी संख्या 404 पर पहुॅचने के लिये विपक्षीगण कि आराजी संख्या 483/397, 484/398, 399, 400 व 398 में से 2.10 बीघा भुमि (20 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 63974 रूपये प्रति बीघा से 159935 रूपये बंनती है। दुगुनी दर 319870 रूपये प्रार्थी द्वारा सरकारी बिलानाम 16 बिस्वा के 102358 रूपये एवं 1.14 बीघा के 217512 रूपये अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:19:41 IST
Reason: SelfAttested

(उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner